न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 80/2023

वादीः—

नरपतसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलुन तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हुक्मसिंह उर्फ हकसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलून तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.ए.डी.बी.शाखा सिवाना
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित

:: निर्णय::

दिनांकः—17.04.2025

यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 व 188 के तहत पेश किया गया है जिसका संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज पिता स्व.रामसिंह पुत्र हमीरसिंह के नाम की पुश्तैनी भूमि ग्राम पीपलून में खसरा संख्या 461 व 559 कुल रकबा 11.05 बीघा की अवस्थित थी,वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने खसरा संख्या 559 रकबा 04.04 बीघा अर्थात (1.7958 हैक्टेयर) भूमि श्री चतरसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी पीपलून को बेचान कर दी,बेचाननामा से प्राप्त रकम से रामसिंह ने ग्राम पीपलून में खसरा संख्या 343 रकबा 06.04 बीघा भूमि खरीद कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दी, तथा खसरा संख्या 461 रकबा 7.02 बीघा भी वादी को आपसी भाई बंट मे दे दी गई। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामसिंह का स्वर्गवास करीब 23–24 वर्ष पूर्व हो गया था वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार में प्रतिवादी संख्या 1 सबसे बडे व परिवार के मुखिया होने के काराण राजस्व अधिकारियों से साठ– गाठ कर वादी के साथ–साथ वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 461 में 1/2–1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दिया, चूंकि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता रामसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वादी को भाई बंट में दे दी, प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के पिता रामसिंह के स्वर्गवास होने से वादी वादग्रस्त खसरा संख्या 461 के सम्पूर्ण रकबा काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के बीच दिनांक 12.03.2001 को 10/—रूपये के स्टाम्प पेपर पर आपसी भाई बंटवाडा अनुसार लिखित कर खसरा संख्या 461 वादी को व खसरा संख्या 343

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:15:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई । प्रतिवादी संख्या 1 खसरा संख्या 461 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/2 हिस्सा का गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर वादी के हक हिस्से की भूमि को हस्तानान्तरण करने पर तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पीपलून, तहसील सिवाना के खसरा संख्या 461 रकबा 1.7958 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी की सम्पूर्ण भूमि में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का आदेश फरमाते हुए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 01 को पाबन्द करावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01, वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे तथा न ही किसी अन्य से करावे । वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी साक्ष्य पी.डब्लयू 1 नरपतसिंह,पी. डब्लयू 2 सुजानसिंह,पी.डब्लयू 3 नरपतसिंह पुत्र खीमसिंह के बयान कलमबद्व करवाये गये तथा दस्तावेज प्रदर्श 1 संवत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 2 खसरा संख्या 343 की जमाबंदी सवंत् 2054–57 ,प्रदर्श 3 खसरा संख्या 343 की जमाबंदी सवंत् 2054–57, प्रदर्श 4 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी संवत् 2054–57, प्रदर्श 5 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी संवत् 2046–49, प्रदर्श 6 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी 2042–45, प्रदर्श 7 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी सवंत् 2037–40, प्रदर्श 8 खसरा संख्या 461 जमाबंदी संवत् 2030–2033 , प्रदर्श 9 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी संवत् 2050–53, प्रदर्श 10 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी, प्रदर्श 2033–36,प्रदर्श 11 ए असल भाई बंटवाडा की छायाप्रति प्रदर्शित करवाये। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीपलून तहसील सिवाना में 461 व 559 कुल रकबा 11.05 बीघा की भूमि वादी व प्रतिवाादी संख्या 1 के पिता के रामसिंह के नाम अवस्थित है,वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने खसरा संख्या 559 रकबा 04.04 बीघा अर्थात (1.7958 हैक्टेयर) भूमि श्री चतरसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी पीपलून को बेचान कर दी,बेचाननामा से प्राप्त रकम से वा[illegible]वादी संख्या 1 के पिता रामसिंह ने ग्राम पीपलून में खसरा [illegible] 343 [illegible] बीघा भूमि खरीद कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से [illegible] इन्द्राज करवा दिया तथा खसरा संख्या 461 रकबा 7.02 बीघा वादी को [illegible]सी भाई बंट मे दे दिया था। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामसिंह का स्वर्गवास करीब 23–24 वर्ष पूर्व हो गया था वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार में प्रतिवादी संख्या 1 सबसे बडे व परिवार के मुखिया होने के कारण राजस्व अधिकारियों से साठ– गाठ कर वादी के साथ–साथ

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 23:16:24 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 461 में 1/2-1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दिया, वादग्रस्त भूमि वादी के पिता रामसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वादी को भाई बंट में दिये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के पिता रामसिंह के स्वर्गवास होने के बाद से वादी वादग्रस्त खसरा संख्या 461 के सम्पूर्ण रकबा काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के बीच दिनांक 12.03.2001 को 10/-रूपये के स्टाम्प पेपर पर आपसी भाई बंटवाडा अनुसार लिखित कर खसरा संख्या 461 वादी को व खसरा संख्या 343 प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई । प्रतिवादी संख्या 1 खसरा संख्या 461 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/2 हिस्सा का गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अपने वादी के हक हिस्से की भूमि को हस्तानान्तरण करने पर तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पीपलून, तहसील सिवाना के खसरा संख्या 461 रकबा 1.7958 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी की सम्पूर्ण भूमि में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का आदेश फरमाते हुए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 01 को पाबन्द करावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01, वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नही करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा वादी को जबरन बेदखल नही करे।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन व अध्ययन किया।

यहां न्यायालय को यह तय करना था कि क्या वादी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 461 रकबा 7.02 बीघा अर्थात (1.7958हैक्टेयर) भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम घोषित करवाने का अधिकारी है ?

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श 4 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी संवत् 2054-57, प्रदर्श 5 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी संवत् 2046-49, प्रदर्श 6 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी 2042-45, प्रदर्श 7 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी सवंत् 2037-40, प्रदर्श 8 खसरा संख्या 461 जमाबंदी संवत् 2030-2033 , प्रदर्श 9 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी संवत् 2050-53, प्रदर्श 10 खसरा संख्या 461 की जमाबंदी प्रदर्श 2033-36 के अवलोकन से स्पष्ट है की वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत के नाम से दर्ज थी, अर्थात वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। प्रदर्श 2 व 3 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 3 जमाबंदी में तत्कालीन पटवारी गोलिया द्वारा दिनांक 12.07.2000 को टिप्पणी करते हुए अंकन किया गया है कि ना.क.सं. 537 स्वीकृत किये जाने से खसरा संख्या 343 के खातेदार उम्मेदमल, उमरावमल, पुखराज, प्रकाशमल पि.सुरजमल कौम ओसवाल द्वारा बेचान किये जाने हुकमसिंह पुत्र रामसिंह कौम राजपूत का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। वादी वकील

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:15:24 IST
Reason: SelfAttested

ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे प्रतीत हो कि खसरा संख्या 343 संयुक्त परिवार की आय से खरीद कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया हो,जबकि उक्त जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम ही दर्ज है, जहां तक प्रश्न लिखित भाई बंट वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 11 ए का है तो उक्त शपथ पत्र /सहमति पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श के आधार पर पैतृक होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 भी वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

लिहाजा उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:15:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 80 / 2023

वादीः–

नरपतसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलुन तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हुक्मसिंह उर्फ हकसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलून तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबन्धक एस:बी.आई.ए.डी.बी.शाखा सिवाना
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : –17.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री पूमनचन्द रामदेव अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई पेश होकर डिगरी दी जाती है कि पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.04.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:15:24 IST
Reason: SelfAttested